हिमाचल प्रदेश सरकार
विधि विभाग

संख्या एल0एल0आर0—डी0(6)—13/2026—लेज शिमला—2 *29 जुलाई, 2026*

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन अध्यादेश, 2026 को दिंनाक 29—07—2026 को प्रख्यापित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, अध्यादेश के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त अध्यादेश को वर्ष 2026 के अध्यादेश संख्यांक 2 के रुप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई—गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

(डॉ0 विवेक ज्योति)
अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (विधि)
हिमाचल प्रदेश सरकार

2026 का अध्यादेश संख्यांक 2

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन अध्यादेश, 2026

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैः—

संक्षिप्त **1.** इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल

नाम। चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन अध्यादेश, 2026 है।

धारा 6 का संशोधन। **2.** शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (जिससे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 6 की उप–धारा (3) में "प्राइवेट यान के लिए पास प्रदान करने हेतु पंद्रह हजार रुपए की फीस प्रति वर्ष, प्रति सड़क प्रभारित की जाएगीः" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "प्राइवेट यान के लिए पास प्रदान करने हेतु छह माह की अवधि के लिए चार हजार पांच सौ रुपए या आठ हजार रुपए प्रति वर्ष, प्रति सड़क फीस प्रभारित की जाएगीः" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

धारा 7 का संशोधन। **3.** मूल अधिनियम" की धारा 7 की उप–धारा (3) में "प्राइवेट यान के लिए पास प्रदान करने हेतु पांच हजार रूपए की फीस प्रति वर्ष, प्रति सड़क प्रभारित की जाएगीः" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "प्राइवेट यान के लिए पास प्रदान करने हेतु छह माह की अवधि के लिए दो हजार रुपए या तीन हजार रुपए प्रति वर्ष, प्रति सड़क फीस प्रभारित की जाएगीः" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

(कविंदर गुप्ता)
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

(डॉ0 विवेक ज्योति)
अतिरिक्त सचिव(विधि)।
शिमलाः.
तारीखः 29 जुलाई, 2026

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

ORDINANCE NO. 2 OF 2026

THE SHIMLA ROAD USERS AND PEDESTRIANS (PUBLIC SAFETY AND CONVENIENCE) AMENDMENT ORDINANCE, 2026

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India.

AN ORDINANCE further to amend the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007 (Act No. 2 of 2008).

WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title. **1.** This Ordinance may be called the Shimla Road Users and Pedestrians

(Public Safety and Convenience) Amendment Ordinance, 2026.

Amendment of section 6. **2.** In section 6 of the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (3), for the words, signs and figures "A fee of Rs. 15,000/- shall be charged for grant of a pass for a private vehicle per road, per annum:", the words, signs and figures "A fee of Rs. 4,500/- for a period of six months or Rs. 8,000/- per annum shall be charged for the grant of a pass for a private vehicle, per road:", shall be substituted.

Amendment of section 7. **3.** In section 7 of the principal Act, in sub-section (3), for the words, signs and figures "A fee of Rs. 5,000/- shall be charged for grant of a pass for a private vehicle per road, per annum:", the words, signs and figures "A fee of Rs. 2,000/- for a period of six months or Rs. 3,000/- per annum shall be charged for the grant of a pass for a private vehicle, per road:" shall be substituted.

(KAVINDER GUPTA)
Governor, Himachal Pradesh

(DR. VIVEK JYOTI)
Addl. Secretary (Law)

SHIMLA:
THE 29th July, 2026